न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 1116/2024

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र प्रेमा नायक (बनारसी) जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।

—— **वादी**

बनाम

1. सिलोचना पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. मंजू पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. जगदीश पुत्र बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. गीता पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. सीमा पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. जुगनी पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजू पति सावत्री पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
8. महेश पुत्र सावत्री पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. केशर पत्नी श्योपाल जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

—असल प्रतिवादीगण

11. मोहरसिंह पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. छोटुराम पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. रामचन्द्र पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. तीजा पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. मीरा पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. अमरसिंह पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. रेशमा पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. गीता पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. गुलाब पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

20. राजू पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. चन्दो पत्नी रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
22. प्रभूसिंह पुत्र रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
23. सोनिका पुत्री रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
24. मोनिका पुत्री रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
25. सुनीता पुत्री रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 10/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 42/40 के कुल खसरे 44 की कुल तादादी 7.3370 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक पूर्ण पुत्र मोतीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के नाना का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस श्योपाल, हिराराम व साधुराम पि0 पूर्ण हुए जिसमें हिराराम जो कि चुन्नी पुत्र मोतीराम के गोद चला गया है तथा श्योपाल व साधुराम पि0 पूर्ण का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस केसर (पत्नी व बनारसी (पुत्री) हुए बनारसी पुत्री श्योपाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी व प्रतितवादी संख्या 1 ता 6 एवं सावत्री पुत्री बनारसी हुए तथा सावत्री पुत्री बनारसी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस –प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 है व साधुराम पुत्र पूर्ण के वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 11 ता 20 एवं रामकुमार पुत्र साधुराम हुए तथा रामकुमार पुत्र साधुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 21 ता 25 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो कि वादी के भाई बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 जो कि वादी की मृतक बहिन के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई/मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है एवं प्रतिवादीया संख्या 9 भी उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 42/40 के कुल खसरे 44 की कुल तादादी 7.3370 है0 भूमि पूर्ण पुत्र मोतीराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अकेला काबिज है एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि में से 10/11 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 11 ता 20 काबिज है व 1/11 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 21 ता 25 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। तरतीबी प्रतिवादीगण को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया की उनका जो भी हक हिस्सा है उन्हें दिया जा रहा है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया, मृत्यु प्रमाण पूर्णाराम, श्योलाल, बनारसी, सावित्री, रामकुमार, सादुराम, कुनणी व पारिवारिक कुर्सीनामा पेश किया जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के नाना का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस श्योपाल, हिराराम व साधुराम पि0 पूर्ण हुए जिसमें हिराराम जो कि चुन्नी पुत्र मोतीराम के गोद चला गया है तथा श्योपाल व साधुराम पि0 पूर्ण का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस केसर (पत्नी व बनारसी (पुत्री) हुए बनारसी पुत्री श्योपाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी व प्रतितवादी संख्या 1 ता 6 एवं सावत्री पुत्री बनारसी हुए तथा सावत्री पुत्री बनारसी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस –प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 है व साधुराम पुत्र पूर्ण के वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 11 ता 20 एवं रामकुमार पुत्र साधुराम हुए तथा रामकुमार पुत्र साधुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 21 ता 25 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो कि वादी के भाई बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 जो कि वादी की मृतक बहिन के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई/मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है एवं प्रतिवादीया संख्या 9 भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी
नोहर

उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 42/40 के कुल खसरे 44 की कुल तादादी 7.3370 है0 भूमि पूर्ण पुत्र मोतीराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादी अकेला काबिज है एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि में से 10/11 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 11 ता 20 काबिज है व 1/11 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 21 ता 25 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है तथा तरतीबी प्रतिवादीगण का जो भी हक हिस्सा है उन्हें दिया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 42/40 के कुल खसरे 44 की कुल तादादी 7.3370 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक पूर्ण पुत्र मोतीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के नाना का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस श्योपाल, हिराराम व साधुराम पि0 पूर्ण हुए जिसमें हिराराम जो कि चुन्नी पुत्र मोतीराम के गोद चला गया है तथा श्योपाल व साधुराम पि0 पूर्ण का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस केसर (पत्नी व बनारसी (पुत्री) हुए बनारसी पुत्री श्योपाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी व प्रतितवादी संख्या 1 ता 6 एवं सावत्री पुत्री बनारसी हुए तथा सावत्री पुत्री बनारसी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस –प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 है व साधुराम पुत्र पूर्ण के वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 11 ता 20 एवं रामकुमार पुत्र साधुराम हुए तथा रामकुमार पुत्र साधुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 21 ता 25 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो कि वादी के भाई बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 जो कि वादी की मृतक बहिन के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई/मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है एवं प्रतिवादीया संख्या 9 भी उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हि[illegible] है [illegible] वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 [illegible] हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के [illegible]बन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 42/40 के कुल खसरे 44 की कुल तादादी 7.3370 है0 भूमि पूर्ण पुत्र मोतीराम के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested

अपखण्ड अधिकारी
नोहर

1/2 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादी अकेला काबिज है एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि में से 10/11 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 11 ता 20 काबिज है व 1/11 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 21 ता 25 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है तथा तरतीबी प्रतिवादीगण का जो भी हक हिस्सा है उन्हें दिया जा रहा है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत कुर्सीनामा तस्दीक द्वारा ब्लॉक मैम्बर के अनुसार पूर्णृ के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 42/40 के कुल खसरे 44 की कुल तादादी 7.3370 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में मृतक पूर्ण पुत्र मोतीराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 10/11 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 11 ता 20 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/11 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 21 ता 25 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1116/2024

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र प्रेमा नायक (बनारसी) जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।

–– वादी

बनाम

1. सिलोचना पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. मंजू पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. जगदीश पुत्र बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. गीता पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. सीमा पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. जुगनी पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजू पति सावत्री पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
8. महेश पुत्र सावत्री पुत्री बनारसी जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. केशर पत्नी श्योपाल जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

11. मोहरसिंह पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. छोटुराम पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. रामचन्द्र पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. तीजा पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. मीरा पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. अमरसिंह पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. रेशमा पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. गीता पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

19. गुलाब पुत्री साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. राजू पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. चन्दो पत्नी रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
22. प्रभूसिंह पुत्र रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
23. सोनिका पुत्री रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
24. मोनिका पुत्री रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
25. सुनीता पुत्री रामकुमार जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1116 सन 2024 निर्णय दिनांक -10/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 42/40 के कुल खसरे 44 की कुल तादादी 7.3370 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में मृतक पूर्ण पुत्र मोतीराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 10/11 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 11 ता 20 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/11 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 21 ता 25 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested